न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 134/2024 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती जितेन्द्र कुंवर पुत्री तेजसिंह राजपूत पत्नी जय विक्रमसिंह राजपूत, निवासी ओडा, हाल निवासी आनन्दपुरी, बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती नगेन्द्र कुंवर पुत्री तेजसिंह राजपूत पत्नी पदमसिंह राजपूत, निवासी ओडा, हाल मेडी ढाणी, तहसील सेमारी, जिला सलुम्बर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती हर्षा कुंवर उर्फ हरेन्द्र कुंवर, निवासी खोडन, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती बिन्दूराणी पत्नी हरिराम मीणा, निवासी ओडा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव
दि0 04.01.2022, प्र. सं. 670(A)/24

---/---

उपस्थित :– 1– श्री मनीष श्रीमाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1

---/---

निर्णय दिनांक 05–03–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में श्रीमती आनन्द कुंवर ने एक प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव ओड़ा, तहसील ऋषभदेव में मेरे एवं मेरी पुत्रियां जीतेन्द्र श्रीमती आनन्द कुंवर, नागेन्द्र श्रीमती आनन्द कुंवर, हर्षा श्रीमती आनन्द कुंवर पुत्री स्वर्गीय तेजसिंह के खाते की आराजी नंबर 110, 111, 113 से 116, 118 से 121, 137 से 1[illegible] से 149, 177 से 180, 187,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:51 IST
Reason: SelfAttested

233, 311 से 317, 322 से 324, 332, 335 से 340, 345 से 348, 350 से 352, 354, 356 कुल किता 42 रकबा 9.6200 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में मेरे पति तेजसिंह मुतबन्ना हिम्मतसिंह जी राजपूत के खातेदारी में दर्ज थी। मेरे पति का देहावसान दिनांक 28–10–1996 को हो चुका है, जिससे वारिसान के हक में नामान्तरकरण संख्या 12 दिनांक 16–05–1997 खोला गया, किन्तु नामान्तरकरण दर्ज करते समय भंवर कुंवर बेवा तेजसिंह अंकित कर दिया गया, जबकि मेरा वास्तविक नाम आनन्द कुंवर है। मेरे अन्य सरकारी रेकार्ड में श्रीमती आनन्न कुंवर ही दर्ज है। अतः राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती करायी जाकर मेरा सही नाम श्रीमती आनन्द कुंवर दर्ज कराने का आदेश फरमावें।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वाद के रूप में दर्ज कर दिनांक 04–01–2022 को निर्णय पारित करते हुए श्रीमती भंवर कुंवर पत्नी तेजसिंह के स्थान पर श्रीमती आनन्द कुंवर पत्नी तेजसिंह दर्ज करने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 18–11–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष श्रीमाल उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 व 14 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आक्षेपित निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 06–10–2023 को लिखित शिकायत करायी गयी, जिस पर उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव ने अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत एफ.आई.आर. कार्यवाही के नतीजे तक इंतजार करने को कहां। ऐसी स्थिति में अपील देरी से प्रस्तुत की गयी है, जो एक सद्भावी भूल है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावें। ताईद में [illegible] प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:51 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्टगण को आक्षेपित निर्णय की जानकारी उसी दिनांक को हो गयी थी, अपीलान्टगण का यह कथन गलत है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा उन्हें एफ.आई.आर. कार्यवाही के नतीजे तक इंतजार करने को कहा, ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं। अपीलान्टगण द्वारा जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील बेरून मयाद होने से खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, ऐसी स्थिति में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टगण के पिता तेजसिंह ने दो विवाह किये। प्रथम विवाह आनन्द कुंवर पुत्री दलपतसिंह पातली, जिला डूंगरपुर से किया, जिससे दो पुत्रियां अपीलान्ट जीतेन्द्र कुंवर व नगेन्द्र कुंवर हुई तथा द्वितीय विवाह भंवर कुंवर पुत्री रतनसिंह निवासी महुवाडा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर से किया, जिसकी पुत्री प्रत्यर्थी संख्या 1 हर्षा कुंवर है। तेजसिंह सरकारी कर्मचारी थे, जिनके सर्विस रेकार्ड में पहली पत्नी आनन्द कुंवर का नाम दर्ज था तथा ग्राम ओड़ा स्थित आराजी नंबर 110, 111, 113 से 116, 118 से 121, 137 से 139, 143 से 149, 177 से 180, 187, 233, 311 से 317, 322 से 324, 332, 335 से 340, 345 से 348, 350 से 352, 354, 356 कुल किता 42 रकबा 9.6200 हैक्टर श्री तेजसिंह के नाम दर्ज चली आ रही थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 की माता भंवर कुंवर के अवसान पर मई 2023 में अपीलान्टगण जब उसके अंतिम संस्कार में गयी तो भंवर कुंवर की तस्वीर पर आन्नद कुंवर का नाम अंकित होने से उनके द्वारा आपत्ति की गयी, किन्तु कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने से छानबीन करने पर अपीलान्टगण की माता श्रीमती आन्नद कुंवर जिनका देहावसान काफी पहले हो चुका था, उनका नाम प्रयुक्त कर प्रत्यर्थी संख्या 1 की माता ने अनुचित लाभ उठाने की गरज से अप[illegible] इन्द्राज दुरस्ती करवा ली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:37:51 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये आनन–फानन में वाद डिक्री किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि भंवर कुंवर के दो नाम थे, भंवर कुंवर व आनन्द कुंवर। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की जांच करने के बाद ही भंवर कुंवर के स्थान पर आनन्द कुंवर दर्ज किये जाने की डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने भंवर कुंवर द्वारा प्रस्तुत इन्द्राज दुरस्ती के प्रार्थना पत्र, जो कैम्प में पेश हुआ था, को धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया, परन्तु धारा 88 का दावा एक रेग्युलर दावा होता है, जिसे दर्ज करने के पश्चात् प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किये जाते हैं, परन्तु पत्रावली पर मात्र आदेश दिनांक 04–01–2022 संलग्न है, जिसमें भंवर कुंवर पत्नी तेजसिंह की बजाय आनन्द कुंवर पत्नी तेजसिंह करने की घोषणा की गयी है। अपीलान्टगण के कथनानुसार तेजसिंह की दो पत्नियां थी। प्रथम पत्नी श्रीमती आनन्द कुंवर, जिसकी पुत्रियां अपीलान्टगण हैं तथा दूसरी पत्नी भंवर कुंवर जिसकी पुत्री प्रत्यर्थी संख्या 1 हर्षा कुंवर है। अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने भी अपीलान्टगण के उक्त कथनों को स्वीकार किया है, परन्तु उनका कथन है कि भंवर कुंवर का नाम अन्य दस्तावेजों में आनन्द कुंवर होने से उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव में उनके द्वारा आवेदन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने भंवर कुंवर नाम के बजाय आनन्द कुंवर घोषित करने की डिक्री जारी की है। तेजसिंह की मृत्यु पश्चात् पहली पत्नी आनन्द कुंवर की पुत्रियों तथा दूसरी पत्नी भंवर कुंवर उर्फ आनन्द कुंवर की पुत्री प्रत्यर्थी संख्या 1 हर्षा कुंवर को जो मौरूसी भूमियां प्राप्त हुई हैं, उसमें यह नाम परिवर्तन किसी के हक अधिकारों को तो प्रभावित नहीं कर रहा है, यह परीक्षण का विषय है, जिसमें दोनों पक्षों को सुनने, साक्ष्य एवं दस्तावेज

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत करने के पश्चात् ही निर्णय किया जा सकता है। साथ ही हम यह भी पाते हैं कि धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे के निस्तारण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपीलान्ट अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 04–01–2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में विधि प्रक्रिया अपनाते हुए प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर तथा उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08–05–2025 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 05–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:51 IST
Reason: SelfAttested